I 130/2025

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JU

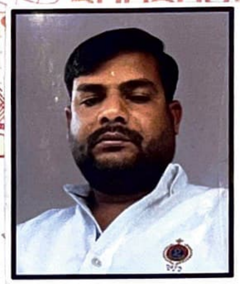

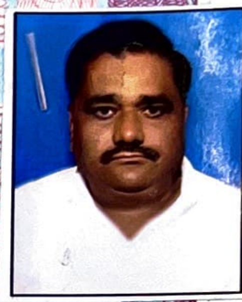

(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 118406

14 AUG 2024

Scanned Total Pages..10

नि. स.......4...................

स्टाम्प–1,000/–

पूरक/अतिरिक्त समूह समझौता (CONSORTIUM AGREEMENT)

यह अतिरिक्त समूह समझौता लखनऊ में दिनांक–23.05.2025 को संपादित और निष्पादित किया गया है।

पक्षकार

1. **ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री मुन्नू लाल यादव निवासी–मिरानपुर पिनवट, परगना–बिजनौर तहसील–सरोजनी नगर जिला–लखनऊ उ0प्र0** के माध्यम से (यह अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके नामांकित, उत्तराधिकारी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और अनुमोदित असाइन शामिल माने जायेगें) तथा

2. **श्री तारा चन्द्र यादव उर्फ ताराचन्द्र पुत्र राम सुन्दर, निवासी–ग्राम–नटकुर, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ, उ0प्र0**, के माध्यम से (यह अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके नामांकित, उत्तराधिकारी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और अनुमोदित असाइन शामिल माने जायेगें)।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director

तारा चन्द्र यादव

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 113405

पार्टी संख्या–01 को प्रमुख डेवलपर्स नियुक्त किया गया है, तथा पार्टी संख्या–02 को सामूहिक रूप से समूह सदस्य (CONSORTIUM MEMBER) कहा जायेगा।

14 AUG 2024

अब यह समूह समझौता और इसकी शर्तें इस प्रकार हैं:

1. प्रमुख सदस्य:

सभी समूह सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से **ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0** को निजी डेवलपर्स और सदस्य नियुक्त किया गया है।

2. समूह समझौते का उद्देश्य और दायरा :

1. इस समूह समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्राम–नटकुर परगना–बिजनौर तहसील–सरोजनीनगर जिला–लखनऊ में परियोजना का विकास करना है।
2. प्रमुख सदस्य परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा और नगर विकास हेतु सभी कार्यो (डिज़ाइन, विकास, वितोपोषण, निर्माण, बिक्री, संचालन और रख–रखाव) को अकेले करेगा।

3. परियोजना प्रबंधन ढांचा और नियम:

ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, समूह के निजी डेवलपर्स के रूप में कार्य करेगा तथा एल0डी0ए0/लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरणों की परिभाषा के अनुसार भूमि और वित्त की व्यवस्था करेगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director

तारा चन्द्र यादव

क्रम सं० ....206........ 23/5/2025

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि०

स्टाम्प लेने वाले का नाम व पूरा पता .... लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि ....500/-........

सुषमा दुबे स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० 230/2
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2025
सदर तहसील, लखनऊ

कार्यालय उप रजिस्ट्रार (सरोजनी नगर) द्वितीय ★ लखनऊ ★

आवेदन स०: 202501041026189

भागीदारी विलेख

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 130 वर्ष: 2025

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 140

श्री ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा
शैलेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री मुन्नू लाल यादव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मिरानपुर पिनवट, परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ उ0प्र0

श्री, ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा शैलेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 24/05/2025 एवं 11:08:15 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार तिवारी, प्रभारी
उप निबंधक :सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
24/05/2025

निबंधक लिपिक
24/05/2025

4. वित्तपोषण और व्यय/परिश्रमिक का वितरण आधार आधार :

1. परियोजना से संबंधित सभी व्यव प्रमुख सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।
2. ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 समूह वित्तीय संस्थानों/बैंको से ऋण उठाएगा और इसके लिए समूह सदस्यों की संपत्ति के मूल दस्तावेज गिरवी रखेगा।
3. ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 किसी भी संस्था से नक्शा पास कराये, डेवलपमेंट आदि कराये जिसमें द्वितीय पक्ष तारा चन्द्र को कोई आपत्ति नही होगी।
4. परियोजना पूर्ण होने पर लाभ और और हानि को समूह सदस्यों के शेयरधारिता अनुपात में बांटा जाएगा।

5. सामान्य नियम और शर्तें:

1. **विधि शासित कानूनः** यह **समझौता भारत के कानूनों के अनुसार होगा।**

2. **बलात् आपदा (Force majeure):** किसी सदस्य पर असामान्य परिस्थितियों में समझौते का उललंघन नही माना जाएगा।

3. **विवाद समाधान :** सभी सदस्य आपसी सहमति से विवादों का निवारण करेंगें, असफल होने पर नियुक्त मध्यस्थ के पास मामला जाएगा।

4. **त्याग (Waiver):** किसी सदस्य द्वारा किसी उल्लंघन को माफ करने का अर्थ भविष्य में उसी नियम का त्याग नहीं होगा।

5. **पूर्णताः** यह समझौता सदस्यों की पूर्ण सहमति का प्रतिबिंब है और इससे पूर्व कोई भी मौखिक या लिखित समझौता निरस्त होगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director

तारा चन्द यादव

श्री मनोज कुमार , पुत्र श्री राम प्रताप

निवासी: ए-48/81, राम विहार कालोनी, मीरानपुर पिनवट, औरावां लखनऊ।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार तिवारी, प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
24/05/2025

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

. . .
निबंधक लिपिक लखनऊ
24/05/2025

6. **गोपनीयताः** कोई भी सदस्य इस समझौते की जानकारी तृतीय पक्ष को नहीं देगा, सिवाय उत्तर प्रदेश सरकार के।

7. **सूचनाः** सभी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी और हस्ताक्षरित या फैक्स द्वारा भेजी जाएगी।

8. यह कि दोनो पक्षों ने उ0प्र0 के जिला–लखनऊ के ग्राम–नटकुर मे स्थित परियोजना भूमि को "MIDTOWN ELEGANCE" नाम और शैली के तहत अचल संपदा परियोजनाओं में विकसित करने के उद्देश्य से एक संघ बनाने के लिये एक समझौते में प्रवेश किया और इसे निष्पादित किया।

9. (1) **समाप्तिः** यह समझौता निम्नलिखि तमे से पहले घटित होने वाली घटना पर समाप्त हो जाएगाः

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना।
- परियोजना का पूर्ण हो जाना।

(2) यह समझौता परियोजना पूर्ण होने तक वैध और प्रभावी रहेगा।

10. **विविध/उत्तरदायित्वः**

a) यदि किसी प्रावधान को अवैध या अमान्य घोषित किया जाता है तो शेष समझौता प्रभावी रहेगा।

b) सभी पक्ष रियल स्टेट अधिनियम 2016 से सम्बन्धित सभी अनुपालनों के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगें, सभी परियोजना के सफल समापन और सैंपने के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगें।

इस लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यता पूर्वक उल्लेख कर दिया गया है, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। यह विलेख पक्षकारों द्वारा दिये कागजातों एवं उनके द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी उभय पक्षों की होगी। जिसमें टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता का किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी व सरोकार व वास्ता नही होगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director

आवेदन सं०: 202501041026189

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 130 | वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

भागीदार: 1

श्री ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के द्वारा शैलेन्द्र यादव, पुत्र श्री मुन्नू लाल यादव

निवासी: मिरानपुर पिनवट, परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

भागीदार: 2

श्री तारा चन्द्र यादव उर्फ ताराचन्द्र, पुत्र श्री राम सुन्दर

निवासी: ग्राम- नटकुर, परगना-बिजनौर, तहसील-सराजनी नगर, जिला-लखनऊ, उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री बृजेश कुमार , पुत्र श्री शंकर लाल

निवासी: 156, चंद्रवल, सरोजनी नगर, चंद्रावल, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने अपने–अपने हस्ताक्षर बनाकर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

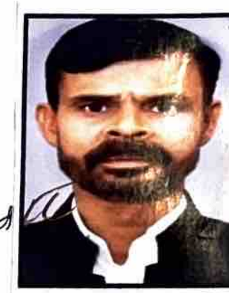

लखनऊ
दिनांकः–23.05.2025

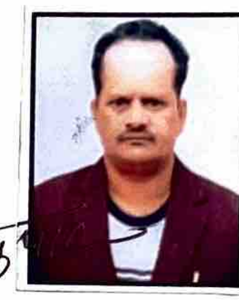

गवाहान :

1.
(बृजेश कुमार)
पुत्र शंकर लाल
नि0–156, चंद्रवल, सरोजनी नगर, चंद्रावल, लखनऊ।

2.
(मनोज कुमार)
पुत्र राम प्रताप
नि0–ए–48/81, राम विहार कालोनी,
मीरानपुर पिनवट, औरावां लखनऊ।

प्रथम पक्ष | **द्वितीय पक्ष**

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director

सौरभ श्रीवास्तव "शानू"
मसविदाकार/एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ
मो0 7309223513

टाइपकर्ता:
(अनुष्क कुमार)

(सौरभ श्रीवास्तव "शानू")
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ
मो0 नं–7309223513

आवेदन सं०: **202501041026189**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ 1 से 10 तक क्रमांक 130 पर दिनाँक 24/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार तिवारी, प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
24/05/2025

कार्यालय उप रजिस्ट्रार (सरोजनी नगर) द्वितीय
सत्यमेव जयते
लखनऊ

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश